न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 158/2017 दायरा दिनांक : 18.09.2017

उनवान

1— राममूर्ति पुत्री स्व.दोली बाई

2— केलाबाई पुत्री स्व.दोली बाई

3— राधिक्या पुत्री स्व.दोली बाई

4— रामकरण पुत्र स्व.दोली बाई

जाति मीणा निवासीगण भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां राज.

.... अपीलांट

बनाम

1— जमनालाल आत्मज हरदेवा माता दोलीबाई जाति मीणा निवासी ग्राम गेहूंखेडी तहसील छबडा जिला बारां

2— स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री विधाशंकर गोस्वामीएवं श्री उमाशंकर गोस्वामी

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री नरेश कुमार स्वामी

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31—12—2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 120/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गेहूंखेडी तहसील छबडा जिला बारां के ख.नं. 42 की 0.07 बीघा, 112 की 1.02 बीघा, 194 की 0.07 बीघा, 294 की 0.12 बीघा व 297 की 10.04 बीघा कुल 5 किता की 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमं स्व. दोलीबाई का आधा हिस्सा निहित है। दोलीबाई के दो पति क्रमशः हरदेवा व जगन्नाथ थे। डोली बाई के हरदेवा से एक पुत्र जमनालाल तथा जगन्नाथ से दोलीबाई के तीन पुत्रियां व एक पुत्र रामकरण पैदा हुए जो वर्तमान में अपीलांट है। इस प्रकार दोलीबाई के कुल 5 संतानें हुई। दोलीबाई का स्वर्गवास दिनांक 18–08–16 को हो गया, जिसके पश्चात् स्व. दोलीबाई के पूर्व पति हरदेवा से उत्पन्न पुत्र जमनालाल द्वारा दोलीबाई के आधे हिस्से की भूमि को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम खातेदारी घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में किया एवं दिनांक 30–08–17 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी जमनालाल को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अपीलांट को जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। उपरोक्त विवादित आराजी संयुक्त खातेदारों की है जिसमें सहखातेदारों का पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पेश किया गया जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से खारिज कर दिया गया एवं दावा रेस्पोडेंट क्रम 1 के पक्ष में डिक्री कर दिया गया है। अतः उपरोक्त निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण है, इसलिए अपास्त किया जावे एवं पुनः रिमाण्ड कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपीलांट के ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 96

सीपीसी वास्ते चाहने अनुमति अपील प्रस्तुत करने के लिए पेश किया गया, जिसको न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु कथन किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों एवं निर्णय इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर निर्णित की गई है। पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार छबडा की दिनांक 15–05–17 की रिपोर्ट के अनुसार अनरजिस्टर्ड वसीयत की फोटोप्रति ही पेश हुई है, इस वसीयत के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा वसीयत की जांच की गई जिसमें वसीयत के गवाहों द्वारा वसीयत की पुष्टि नहीं की गई है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि दोलीबाई के हरदेवा से एक पुत्र जमनालाल है एवं जगन्नाथ से तीन पुत्रियां व एक पुत्र रामकरण है। तहसीलदार के रिपोर्ट क साथ सलंग्न बयानों मे भी उपरोक्तानुसार ही वारिसों का वर्णन है जो कि स्व.दोलीबाई के वारिस है। ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रमाण पत्र दिनांक 05–11–16 का संलग्न है, वह केवल सरपंच द्वारा जारी किया गया है, न ही उसपर कोई डिस्पेच नम्बर है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जो अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किया गया है एवं जिसकी पुष्टि भी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार नहीं हुई है, वह गलत है एवं त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट स्व. दोलीबाई के कानूनी वारिस है, जिन्हें पक्षकार बनाया जाना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है, एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुकूल है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–08–17 को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दावें में वादीगण को पक्षकार बनाये, जवाबदावा व तनकीयात कायम करे। वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर

प्रदान करे एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वसीयत की भी गहनता से जांच करे तत्पश्चात् गुण अवगुण पर निर्णय पारित करे। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 30–08–2017 अपास्त किया जाता है। पक्षकारान को सुनवाई को सुनवाई का अवसर दिया जावे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 25–02–2018 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 31–12–2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा